

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड



यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं० 1050
कानपुर - 208024
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाइट : www.upsidc.com
ईमेल : feedback@upsidc.com

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक /
क्षेत्र प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी,
उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
.....।

सदर्थ संख्या

/एसआईडीसी/

दिनांक

विषय: विकलाग व्यक्तियों के पक्ष में सम्पत्ति के निबन्धन के समय उनके द्वारा विकलागता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

मुख्यालय के पत्र संख्या 151-53/एसआईडीसी/आईए-स्टैम्प-2014 दिनांक 23.4.15 के द्वारा विकलाग व्यक्तियों को किसी स्थान पर सम्पत्ति के क्रय (हस्तान्तरण) की लिखत पर अथवा सम्पत्ति के पट्टे की लिखत पर प्रमार्य शुल्क पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में शासन की अधिसूचना आदेश संख्या 11/संख्या-क०नि०-7-152/11-2015-500(104)/04 दिनांक 20.3.15 को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। शासन की उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में श्री सुधीन्द्र कुमार, उप राधिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, लखनऊ के पत्र संख्या 12/संख्या-433/11/स०वि० क०नि०-7-15-500(104)/04 दिनांक 25.3.15 की प्रति आपको अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक यथोक्त

(अरुण मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

संख्या 977-28/एसआईडीसी-आईए-Stamp-2014 -दिनांक 15-7-15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महाप्रबन्धक (विकास), उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किये जाने हेतु प्रेषित।
- 2 समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ० क्षे० अनुभाग, मुख्यालय कानपुर।

(अरुण मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

06/ESTH
9/4/15

✓

12/संख्या-433/11-संवि0क0नि0-7-15-500(104)/04

adh/2015/45431

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक नियन्धन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप नियन्धक उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं नियन्धन अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2015

विषय: विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में सम्पत्ति के नियन्धन के समय उनके द्वारा विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासन के कर एवं नियन्धन अनुभाग-7 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-7-152/11-2015-500(104)/04, दिनांक 20 मार्च, 2015 द्वारा विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में सम्पत्ति के अन्तरण/पट्टा विलेख के नियन्धन में देय स्टाम्प शुल्क से छूट विकलांगजन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के दृष्टिगत विभिन्न शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।

2. उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विकलांग व्यक्तियों द्वारा ऐसे विलेखों के नियन्धन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भवदीय
[Signature]
(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

10/1/Supdt/AM
40
9/4

10
1-15